बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–4/अ0प्र0–1–30/2019 223 /पटना दिनांक–21/9/21

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 140 सहपठित ज्ञापांक–1248 दि0–08.02.19 के (क्रमांक– 100) के द्वारा श्री अरूण कुमार की नियुक्ति इस विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से होने के उपरान्त वे अपने पूर्व के नियोक्ता, जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–555/स्था0,गया दिनांक–08.06.2019 के द्वारा दिनांक–10.06.2019 के अपराह्न के प्रभाव से विधिवत विरमित होकर इस विभाग में दिनांक–11.06.2019 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किये।

2. तद्‌परान्त विभागीय कार्यालय आदेश सं0–238 सहपठित ज्ञापांक–4251 दिनांक–25.06.2019 के द्वारा इनका पदस्थापन ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमंडल, बगहा–1 के कार्य प्रशाखा, लौरिया–2 में किया गया।

3. श्री कुमार पूर्व में जिला समाहरणालय, गया के अधीन भिन्न–भिन्न शाखाओं में उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर दिनांक 15.12.2004 से दिनांक 10.06.2019 तक सेवारत रहें थे, जो पुराने पेंशन से अच्छादित था। वर्तमान पद (कनीय अभियंता) पर पूर्व के नियोक्ता से विधिवत रूप से विरमित होने के उपरान्त ही योगदान देकर कार्यरत है।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक 768 दिनांक 03.07.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में श्री अरूण कुमार के द्वारा पूर्व में गया समहारणालय के अधीन उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर की गयी पेंशन प्रदायी सेवा अवधि की गणना वर्त्तमान सेवा के साथ परिगणित करने के बिन्दु पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त की गयी।

अतएव वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक 768 दिनांक 03.07.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में श्री अरूण कुमार, नवनियुक्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1, कार्य प्रशाखा, लौरिया–2 का उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर की गयी पूर्व की सेवा अवधि दिनांक 15.12.2004 से दिनांक–10.06.2019 को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में परिगणित करने की स्वीकृति देते हुए इसे वर्त्तमान सेवा के साथ सम्मिलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एवं विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

21/9/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:–4/अ0प्र0–1–30/2019 4735 /पटना दिनांक– 21/9/21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0 विभाग), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, (पेंशन प्रशाखा), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/21
अभियंता प्रमुख।

Office Order

P.T.O.

t

ज्ञापांक:–4/अ0प्र0–1–30/2019 4735 /पटना दिनांक– 21/9/21

प्रतिलिपि:–संयुक्त आयुक्त (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/21
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:–4/अ0प्र0–1–30/2019 4735 /पटना दिनांक– 21/9/21

प्रतिलिपि:–मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 एवं श्री अरूण कुमार, नवनियुक्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1, कार्य प्रशाखा, लौरिया–2 एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/21
अभियंता प्रमुख।

Office Order